

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
सर्वे सं. 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगूडा, हैदराबाद - 500032.

(टेली नं. (040) 20204000)

वित्तीय क्षेत्र की विनियमनकर्ता संस्थाओं, सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) बीमा कंपनियों और/या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) बैंकों में कार्यरत पात्र अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की नियुक्ति

संदर्भ: एचआर/प्रतिनियुक्ति/04/2023

दिनांक: 21-04-2023

1. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण संसद के एक अधिनियम के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
2. प्राधिकरण नीचे दिये गये विवरण के अनुसार वित्तीय क्षेत्र की विनियमनकर्ता संस्थाओं, सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) बीमा कंपनियों और/या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) बैंकों से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के द्वारा विशेष कार्य अधिकारियों (ओएसडी) के रूप में निम्नलिखित रिक्तियाँ भरने का प्रस्ताव करता है:
3. रिक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	विवरण	प्रबंधक ग्रेड बी	सहायक महाप्रबंधक ग्रेड सी	उप महाप्रबंधक ग्रेड डी
1	वेतनमान (रुपयों में)	55200-2850(9)-80850-ईबी - 2850(2)-86550-3300(4)-99750 (16 वर्ष)	77950-2850(3)-86500-3100(2)-92700-3300(4)-105900-ईबी-3300(2)-112500-3550(1)-116050 (13 वर्ष)	110050-3550(2)-117150-3700(5)-135650-3900(1)-139550 (9 वर्ष)
2	रिक्तियों की कुल संख्या	15	10	5
3	आयु	आयु की अधिकतम सीमा	38	55

पात्र अधिकारी अपने आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में केवल उचित माध्यम से अर्थात् अपने संवर्ग के नियंत्रक प्राधिकारी के जरिये इस प्रकार प्रस्तुत करें कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास **05-04-2023 को अपराह्न 5 बजे से पहले पहुँचे।**

मुख्य महाप्रबंधक (सा.प्र.& मा.सं.)
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
सर्वे सं. 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगूडा,
हैदराबाद-500 032, तेलंगाना।

4. पात्रता के विवरण और अन्य शर्तों को आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख अर्थात् **05-05-2023** की स्थिति के अनुसार पूरा करना होगा।

5. पात्रता की शर्तें :

क. प्रबंधक के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता

- i. 60% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा 2019 के पाठ्यक्रम के अनुसार भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई) के दस (10) प्रश्नपत्रों में उत्तीर्णता; या
- ii. 60% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा एसीए / एसीएस/ एआईसीडब्ल्यूए/ सीएफए; या
- iii. 60% अंकों के साथ सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि [एम स्टैट, एम एससी (स्टैट) या समकक्ष]; या
- iv. 60% अंकों के साथ बी.टेक. (आईटी/सीएसई) अथवा आईटी में एमसीए अथवा एम.टेक. अथवा एम.एस.;या
- v. स्नातक उपाधि 60% अंकों के साथ एफआईआईआई अथवा उसके समकक्ष; या
- vi. स्नातक उपाधि 60% अंकों के साथ तथा एलएल.एम. 60% अंकों के साथ।

ख. सहायक महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता

- i. 60% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई) का फेलो; या
- ii. 60% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा एफसीए / एफआईसीडब्ल्यूए / एफसीएस / एफसीए; या
- iii. 60% अंकों के साथ सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि [एम स्टैट, एम एससी (स्टैट) या समकक्ष]; या
- iv. 60% अंकों के साथ बी.टेक. (आईटी/सीएसई) अथवा आईटी में एमसीए अथवा एम.टेक. अथवा एम.एस.;या
- v. स्नातकोत्तर उपाधि 60% अंकों के साथ एफआईआईआई अथवा उसके समकक्ष; या
- vi. स्नातक उपाधि 60% अंकों के साथ तथा एलएल.एम. 60% अंकों के साथ।

ग. पात्र अधिकारियों का ग्रेड या वेतनमान और अनुभव

I. उप महाप्रबंधक:

- i. वित्तीय क्षेत्र की विनियमनकर्ता संस्थाओं : ग्रेड डी या एक स्तर नीचे के अधिकारी जिनके पास उस वेतनमान में 5 वर्ष का अनुभव हो।
- ii. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) बीमा कंपनियाँ: स्केल V या एक स्तर नीचे के अधिकारी जिनके पास उस वेतनमान में 5 वर्ष का अनुभव हो।
- iii. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) बैंक: वेतनमान में उल्लिखित अनुरूप वेतन बैंड में अधिकारी या एक स्तर नीचे के अधिकारी जिनके पास उस वेतनमान में 5 वर्ष का अनुभव हो।
- iv. सरकार: वेतनमान में उल्लिखित वेतन बैंड में अनुरूप पद धारण करने वाले अधिकारी।
- v. अनुभव: अधिकारी के रूप में 15 वर्ष का.

II. सहायक महाप्रबंधक:

- i. वित्तीय क्षेत्र की विनियमनकर्ता संस्थाओं : ग्रेड सी या एक स्तर नीचे के अधिकारी जिनके पास उस वेतनमान में 5 वर्ष का अनुभव हो।
- ii. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) बीमा कंपनियाँ: स्केल IV या एक स्तर नीचे के अधिकारी जिनके पास उस वेतनमान में 5 वर्ष का अनुभव हो।
- iii. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) बैंक: वेतनमान में उल्लिखित अनुरूप वेतन बैंड में अधिकारी या एक स्तर नीचे के अधिकारी जिनके पास उस वेतनमान में 5 वर्ष का अनुभव हो।
- iv. सरकार: वेतनमान में उल्लिखित वेतन बैंड में अनुरूप पद धारण करने वाले अधिकारी।
- v. अनुभव: अधिकारी के रूप में 12 वर्ष का।

III. प्रबंधक:

- i. वित्तीय क्षेत्र की विनियमनकर्ता संस्थाओं : ग्रेड बी या एक स्तर नीचे के अधिकारी जिनके पास उस वेतनमान में 5 वर्ष का अनुभव हो।
- ii. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) बीमा कंपनियाँ: स्केल III या एक स्तर नीचे के अधिकारी जिनके पास उस वेतनमान में 5 वर्ष का अनुभव हो।
- iii. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) बैंक: वेतनमान में उल्लिखित अनुरूप वेतन बैंड में अधिकारी या एक स्तर नीचे के अधिकारी जिनके पास उस वेतनमान में 5 वर्ष का अनुभव हो।
- iv. सरकार: वेतनमान में उल्लिखित वेतन बैंड में अनुरूप पद धारण करने वाले अधिकारी।
- v. अनुभव: अधिकारी के रूप में 08 वर्ष का।

6. सामान्य शर्तें:

6.1 उपर्युक्त किसी भी पद के लिए आवेदन करनेवाले अधिकारियों को चाहिए कि वे जहाँ भी लागू है वहाँ वित्तीय क्षेत्र की विनियमनकर्ता संस्थाओं, सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) बीमा कंपनियों और/या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) बैंकों में ऊपर दिये गये पद के समकक्ष पद धारित करते हों तथा उसी प्रकार के दायित्व और कर्तव्य रखते हों।

6.2 आवेदन **निर्धारित फार्मेट** में, जो **अनुबंध ए** में दिया गया है आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख अर्थात् **05-05-2023 को अपराह्न 5 बजे तक अथवा उससे पहले** प्रस्तुत किये जाएँगे। आवेदन की एक अग्रिम प्रति भेजी जा सकती है, जिस पर तभी विचार किया जाएगा जब वह पिछले तीन वर्षों की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रतियों एवं सतर्कता संबंधी अनापत्ति और सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र की प्रतियों के साथ आवेदन उचित माध्यम से अग्रेषित किया गया हो।

6.3 संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी को इच्छुक अधिकारियों के आवेदन जिनकी सेवाएँ संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती हैं, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2019-20 से 2021-2022 तक के लिए उक्त अधिकारियों की एसीआर/एपीएआर की साक्षांकित प्रतियों के साथ आवेदन का भाग II विधिवत् भरकर प्रेषित करने चाहिए।

- 6.4 आवेदन जो अधूरे होंगे अथवा निर्धारित फार्मेट में नहीं होंगे अथवा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से पहले उचित माध्यम से प्राप्त नहीं किये जाएँगे, सुस्पष्ट रूप से अस्वीकार किये जा सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी रूप में नियोक्ता से किसी भी शर्त के साथ प्रेषित किये गये आवेदन अथवा अनुबंध-ए के भाग ॥ में नियोक्ता के प्रमाणपत्र के बिना प्राप्त आवेदन सुस्पष्ट रूप से अस्वीकार किये जाएँगे।
- 6.5 जो उम्मीदवार आईआरडीआई के नियंत्रण से बाहर के किसी भी कारण से अंतिम तारीख के अंदर अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, उनके संबंध में आईआरडीआई कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करता।
- 6.6 साक्षात्कार (इंटरव्यू) के समय निम्नलिखित दस्तावेज मूल रूप में सत्यापन के लिए दिखाने चाहिए तथा उम्मीदवार की पात्रता और पहचान के समर्थन में इनकी स्वयं-साक्षात्कृत फोटोप्रतियाँ अनिवार्यतः प्रस्तुत की जानी चाहिए, तथा ऐसा न करने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी :
- जन्मतिथि का प्रमाण (सक्षम नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया जन्मतिथि का प्रमाण अथवा एसएसएलसी/दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र जिसमें जन्म-तिथि उल्लिखित हो), फोटो पहचान प्रमाण, शैक्षिक योग्यताएँ (सभी वर्षों / सेमेस्टरों के अंक-पत्रक तथा स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/अन्य प्रमाणपत्र), आवेदन में उल्लिखित अनुभव का प्रमाण तथा पात्रता के समर्थन में कोई अन्य संगत दस्तावेज।
- 6.7 वेतन निर्धारण और प्रतिनियुक्ति की अन्य शर्तें अधिसूचना में निर्दिष्ट नहीं की गई हैं, उसे समय-समय पर यथासंशोधित ओएम संख्या 6/8/2009-ईएसटीटी (वेतन ॥) दिनांकित 17-06-2010 सहित डीओपीटी नियमों द्वारा नियंत्रित की जाएंगी।
- 6.8 प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिन अधिकारियों ने एक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर आईआरडीआई में सेवा की है, उनके संबंध में दूसरी अवधि के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- 6.9 अधिकारी, जिस अधिसूचित पद के लिए आवेदन करते हैं, केवल उसी पद और वेतनमान के लिए विचार किया जाएगा
- 6.10 प्रतिनियुक्ति पर रहनेवाला अधिकारी समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीआई स्टाफ (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) विनियम, 2016 तथा आईआरडीआई द्वारा निर्धारित निबंधनों और शर्तों से नियंत्रित होगा।
- 6.11 अन्य संस्थाओं से आईआरडीआई में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी चयन कर सकता है कि वह या तो प्रतिनियुक्ति पद पर लागू वेतन-मान में वेतन आहरित करे अथवा मूल संवर्ग में विद्यमान वेतन-मान के अनुसार वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ता और वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हो, आहरित करे तथा वह इस प्रकार आईआरडीआई में कार्यग्रहण करने के 30 दिन के अंदर अपने विकल्प का प्रयोग करते हुए आहरित कर सकता/सकती है। यदि प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी उपर्युक्त अवधि के अंदर उक्त विकल्प प्रस्तुत नहीं करता/करती, तो यह माना जाएगा कि कर्मचारी ने

आईआरडीएआई में प्रतिनियुक्ति पद के वेतन-मान में वेतन के लिए विकल्प दिया है तथा उसका वेतन तदनुसार निर्धारित किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी द्वारा वेतन के संबंध में एक बार प्रयुक्त विकल्प अंतिम होगा।

- 6.12 जब अन्य संस्थाओं से आईआरडीएआई में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी पदोन्नति/प्रोफार्मा पदोन्नति पाता है अथवा गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड में नियुक्त किया जाता है अथवा मूल संवर्ग में वेतन-मान का ग्रेड बढ़ाये जाने की स्थिति में अधिकारी के पास विकल्प होगा कि वह या तो संवर्ग-बाह्य पद (एक्स-कैडर पोस्ट) में प्रतिनियुक्ति की समाप्ति तक वर्तमान वेतन और भत्तों को प्राप्त करना जारी रखे या पदोन्नति के लाभों का दावा करने के लिए प्रत्यावर्तन की अपेक्षा करे। मूल संवर्ग में पदोन्नति के कारण एक उच्चतर संवर्ग-बाह्य पद के लिए संवर्ग-बाह्य पद और वेतन-निर्धारण का पुनर्विचार करने के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा।
- 6.13 आईआरडीएआई के स्थायी अधिकारी और वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर स्थित अधिकारी आईआरडीएआई में उच्चतर संवर्ग-बाह्य पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
- 6.14 प्रतिनियुक्ति पर स्थित अधिकारी के संबंध में किसी भी विदेश में प्रतिनियुक्ति और/या भारत के अंदर किसी भी संस्था में प्रतिनियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 6.15 प्रतिनियुक्ति पर स्थित अधिकारी आईआरडीएआई में स्थायी आमेलन अथवा पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा।
- 6.16 संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी से अपेक्षित है कि वह भरे गए आवेदन फार्म में आवेदक द्वारा उल्लिखित रूप में पद के लिए आवश्यक योग्यताओं/अनुभव की पुष्टि करे तथा उसका आवेदन प्रेषित करने से पहले यह सुनिश्चित करे कि वह उपर्युक्त पद के लिए पात्रता के मानदंडों को पूरा करता है/करती है।
- 6.17 किसी भी ग्रेड के लिए प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रतिनियुक्ति की किन्हीं भी शर्तों को शिथिल करने अथवा बढ़ाने का अधिकार आईआरडीएआई के पास सुरक्षित है।
- 6.18 आईआरडीएआई के पास कम संख्या में पदों को भरने अथवा पदों को बिलकुल न भरने का अधिकार सुरक्षित है।
- 6.19 अनुयाचन (कैनवैसिंग) अथवा किसी भी रूप में कोई अनुचित प्रभाव लाना उम्मीदवार को निरर्हित (डिसकालिफाई) करेगा।
- 6.20 यदि कोई उम्मीदवार जान-बूझकर अथवा इरादतन गलत अथवा झूठा विवरण देता है अथवा कोई महत्वपूर्ण सूचना को छिपाता है, तो उसकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है। यदि उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में अर्हता प्राप्त करता है तथा तदुपरांत यह पाया जाता है कि वह पात्रता के मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती, तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की

जाएगी तथा यदि प्रतिनियुक्ति पर उसकी नियुक्ति की जाती है तो वह किसी सूचना अथवा क्षतिपूर्ति के बिना समाप्त की जाएगी।

- 6.21 चयन-सूची (शार्टलिस्ट) में दर्ज उम्मीदवारों को एक वैयक्तिक इंटरफेस/इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यदि उपयुक्त माना जाएगा तो चयन प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार आईआरडीएआई के पास सुरक्षित है।
- 6.22 पात्रता, साक्षात्कार (इंटरव्यू) के आयोजन, मूल्यांकन, रिक्तियों की संख्या के संबंध में इंटरव्यू में न्यूनतम अर्हकारी मानक निर्धारित करने, तथा परिणाम सूचित करने और अन्य संबद्ध विषयों में आईआरडीएआई का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी पत्राचार अथवा वैयक्तिक पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 6.23 साक्षात्कार के लिए बुलाये गये बाहरी उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन उनके निवास स्थान/कार्यस्थल से साक्षात्कार के स्थान तक निकटतम मार्ग से एकल यात्रा के लिए इकानमी श्रेणी के हवाई भाड़े / वास्तविक द्वितीय वातानुकूलित रेलवे किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इनके अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक या भुगतान देय नहीं होगा।
- 6.24 चयनित अधिकारी आईआरडीएआई के किसी भी कार्यालय में नियोजित अथवा स्थानांतरित किये जा सकते हैं।
- 6.25 आईआरडीएआई के पास किसी भी कारण से विज्ञापन को पूर्णतः अथवा अंशतः निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 6.26 इस अधिसूचना और/या उसके प्रत्युत्तर में किसी आवेदन से उत्पन्न होनेवाले दावे अथवा विवाद के किसी भी विषय के संबंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही केवल हैदराबाद में ही प्रारंभ की जा सकती है तथा केवल हैदराबाद स्थित न्यायाधियों/ न्यायाधिकरणों/ फोरमों के पास ही किसी भी मुकदमे/ विवाद पर विचार करने का एकमात्र और अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।
- 6.27 समस्त पत्राचार ई-मेल और स्पीडपोस्ट के द्वारा ही किया जाएगा। अतः सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे सही ई-मेल पता उपलब्ध कराएँ तथा आईआरडीएआई से किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से अपने ई-मेलों की जाँच करें।
- 6.28 **शुद्धिपत्र:** कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल आईआरडीएआई की वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा।